फैक्स

सं0– 4708 /1–10–2008–14(75)/08

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव, राजस्व
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनु0–10 लखनऊः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2008

विषयः–वर्ष 2008–09 में दैवी आपदा (बादल का फटना) से क्षतिग्रस्त अप्रत्याशित परिस्थितियों वाले सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन ।

महोदय,

कृपया राजस्व अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–4253/1–10–2008 -14(75)/08 दिनांक 12–09–2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके प्रस्तर–2 में यह स्पष्ट किया गया था कि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स में बाढ़ के साथ–साथ बादल फटने (cloud burst) की घटना को दैवी आपदा माना गया है । इस संबंध में यह भी उल्लेख किया गया था कि जनपद या उसके किसी भी भाग में यदि अल्प अवधि (अधिकतम 24 घण्टे) में अप्रत्याशित वर्षा (un-usually high down pour/cloud burst) हुई हो तो उसे बादल फटने की घटना मानते हुए ऐसे जनपदों या उस क्षेत्र विशेष में उस दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पात्र श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को आपदा राहत निधि से गाइड लाइन्स के प्रस्तर–18 में अनुमन्य मरम्मत/रेस्टोरेशन के लिए व्यय किया जा सकता है।

इसी क्रम में राजस्व अनु0–10 के शासनादेश संख्या–4336/1–10–2008–12(73)/08 टी0सी0–1 दिनांक 16–09–2008 में यह भी अपेक्षा की गयी थी

– २ –

कि बादल फटने (cloud burst) के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्य स्वीकृत किये जाने से पूर्व बादल फटने की घटना के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे । उक्त प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपदा राहत स्टीयरिंग समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात ही उक्त दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्य कराये जा सकेंगे ।

दिनांक 07–10–2008 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय आपदा राहत स्टीयरिंग कमेटी ने इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में 150 मि0मी0 वर्षा 24 घण्टे की अवधि में रिकार्ड की गयी हो तो उस क्षेत्र विशेष में उसे अप्रत्याशित वर्षा माना जायेगा तथा आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स में बादल फटने (cloud burst) की घटना मानते हुए दैवी आपदा माना जायेगा और तदनुसार शासनादेश संख्या–4253/1–10–2008–14(75)/08 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 के प्राविधान लागू होंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 4336/1–10–2008–12(73)/08 टी0सी0–1 दिनांक 16 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर–1 में अपेक्षित किसी भी प्रकार का प्रस्ताव अब शासन में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा जिलाधिकारी अपने स्तर पर भी उपरोक्तानुसार निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

(एम0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 5708 (1)/1-10-2008 14(75)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/पंचायतीराज/नगर विकास विभाग।

2- संबंधित मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीनस्थ जनपदों में युद्ध स्तर पर उक्त प्रकियानुसार कार्यवाही कराते हुए उक्त संबंधित कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।